

झारखंड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(सहकारिता प्रभाग)
झारखण्ड राज्य लघुवनोपज सहकारी विकास एवं विपणन संघ लि.
(झाम्फकोफेड लि०, राँची)

चतुर्थ तल, पशुपालन भवन, हेसाग, राँची- 834003, झारखंड
E.mail I.D.:- mdjhamfcofed@gmail.com Ph No : 0651-3510563/7004790869 Web Site: - www.jhamfcofed.com

झाम्फकोफेड से सम्बद्ध सहकारी समितियाँ/लैम्पस/पैक्स/वन धन विकास केन्द्र/स्वयं सहायता समूह आदि के चयन हेतु अल्पकालीन इच्छा की अभिव्यक्ति का आमंत्रण

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग) झारखण्ड सरकार से झारखण्ड राज्य लघुवनोपज सहकारी विकास एवं विपणन संघ लि. (झाम्फकोफेड लि०), को प्राप्त वित्तीय वर्ष 2024-25 में फेडरेशन के आधारभूत संरचना विकास अंतर्गत संचाल परगना में बाँस प्रसंस्करण ईकाई योजना की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस योजना अंतर्गत संचाल परगना (देवघर, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका एवं जामताड़ा) में झाम्फकोफेड से सम्बद्ध सहकारी समितियाँ/लैम्पस/पैक्स/वन धन विकास केन्द्र/स्वयं सहायता समूह आदि में बाँस प्रसंस्करण इकाई स्थापित की जाएगी। इसके लिए विहित प्रपत्र एवं निर्धारित नियम एवं शर्तों के अधीन सहकारी समितियाँ/लैम्पस/पैक्स/वन धन विकास केन्द्र/स्वयं सहायता समूह द्वारा दिनांक 30.09.2025 (मंगलवार) के अप० 05:00 बजे तक विहित प्रपत्र में इच्छा की अभिव्यक्ति झाम्फकोफेड कार्यालय में जमा किया जा सकता है।

विहित प्रपत्र, नियम एवं शर्तें झाम्फकोफेड कार्यालय के सूचना पट्ट एवं झाम्फकोफेड के वेबसाइट:- www.jhamfcofed.com पर भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

Abhinav Mishra
प्रबंध निदेशक 11/9/20
झाम्फकोफेड लि०, राँची

Annexure-“A”

(नियम एवं शर्तें :-)

1. आवेदन विहित प्रपत्र में भरकर संबंधित पंचायत के मुखिया/BPM द्वारा सत्यापित होना चाहिए।
2. आवेदन के साथ लाभुक का पहचान पत्र यथा आधार कार्ड की छायाप्रति लगाना अनिवार्य है।
3. प्रत्येक सहकारी समितियाँ/लैम्पस/पैक्स/वन धन विकास केन्द्र/स्वयं सहायता समूह से 50 प्रतिशत अनु०ज०जा०/अनु०जा० का चयन किया जाएगा।
4. एक सहकारी समितियाँ/लैम्पस/पैक्स/वन धन विकास केन्द्र से अधिकतम् 60 तथा स्वयं सहायता समूह से अधिकतम् 20 लाभुकों का चयन किया जाएगा।
5. झाम्फकोफेड से संबद्ध सभी सहकारी समितियाँ/लैम्पस/पैक्स आवेदन के साथ अद्यतन अंकेक्षण, निर्वाचन, परफॉर्मेंस एवं व्यापार आदि संबंधित दस्तावेज संलग्न करें।
6. प्रशिक्षण एवं Harvesting Tool Kit वितरण उपरान्त सभी सहकारी समितियाँ/लैम्पस/पैक्स/प्रधानमंत्री वन धन विकास केन्द्र/स्वयं सहायता समूह को Tool Kit उपयोग करते हुए फोटो/विडियो झाम्फकोफेड कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
7. झाम्फकोफेड द्वारा गठित कमिटी का निर्णय अंतिम निर्णय होगा।

**प्रबंध निदेशक
झाम्फकोफेड लि०, राँची।**

वित्तीय वर्ष 2024-25 में फेडरेशन के आधारभूत संरचना विकास हेतु अनुदान योजनांतर्गत
संथाल परगना बाँस प्रसंस्करण ईकाई के अधिष्ठापन हेतु इच्छा की अभिव्यक्ति का आवेदन
प्रपत्र -

1. झाम्फकोफेड से सम्बद्ध सहकारी समिति/लैम्पस/पैक्स/प्रधानमंत्री वन धन विकास केन्द्र/SHG का नाम :-
2. अंकेक्षण प्रमाण पत्र (अद्यतन यथा वर्ष 2023-24) (सत्यापित प्रति संलग्न)
3. निर्वाचन प्रमाण पत्र (सत्यापित प्रति संलग्न)
4. समिति/लैम्पस/पैक्स/प्रधानमंत्री वन धन विकास केन्द्र/SHG में सदस्यों की संख्या :-
5. अनु०ज०जा० :-
अन्य पिछड़ा वर्ग :-
सामान्य वर्ग :-
अनु०जा० :-
आदिम ज०जा० :-
6. महिला %
पुरुष %
7. पता :- ग्राम : पो०.....

थाना:- जिला पिन :-
8. सहकारी समिति/ लैम्पस/पैक्स/प्रधानमंत्री वन धन विकास केन्द्र/SHG के झाम्फकोफेड से सम्बद्धता/सदस्यता की तिथि/वर्ष :-

- हस्ताक्षर
(मुहर के साथ)
अध्यक्ष / सचिव

हस्ताक्षर
(मुहर के साथ)
अध्यक्ष / सचिव